



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129701

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 21884 वर्ष 2026

श्रीमती सोफिया

.....आवेदिका(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदिका(गण) के लिए अधिवक्ता	:	जावेद आलम, विकेश कुमार तिवारी
प्रतिपक्षी(गण) के लिए अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. श्री आकाश त्यागी का पक्ष प्रस्तुत करते हुए विद्वान अधिवक्ता श्रीमती अनीश दत्ता श्रीवास्तव जिन्होंने आज न्यायालय में अपना वकालतनामा दाखिल किया है, उसे अभिलेख में ले लिया गया है।
2. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 212 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 87, 103(1), 3(5), 61(2) और 238क भारतीय न्याय संहिता, पुलिस स्टेशन- मेडिकल, जिला- मेरठ में आवेदिका को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
4. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदिका का नाम नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में भी आवेदिका नहीं देखी गई है। कथित तौर पर सह-अभियुक्ता साजिदा मृतक के शव को अस्पताल के सामने छोड़ते हुए देखी गई है। आवेदिका का कोई आपराधिक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पूर्ववृत्त नहीं है। घटना के लगभग 16 दिन बाद साक्षीगण यूसुफ और मंजू शर्मा के अभिकथनों में आवेदिका का नाम सामने आया। उनका तर्क है कि यूसुफ और मंजू शर्मा के अभिकथनों को भी ध्यान में रखा जाए तो भी आवेदिका की भूमिका मृतक की मृत्यु का कारण बनने की नहीं है, बल्कि सह-अभियुक्त सूफियान और साजिदा द्वारा मृतक के शव को ले जाने के बाद घटनास्थल पर गड़बड़ी फैलाने की है।

5. सूचनाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता श्रीमती अनीश दत्ता श्रीवास्तव ने तर्क दिया है कि आवेदिका इस घटना में शामिल थी और दो साक्षियों यूसुफ और मंजू शर्मा के अभिकथनों से उसकी संलिप्तता स्पष्ट है। उन्होंने आगे कहा कि अपराध जघन्य है और सह-अभियुक्त सूफियान मृतक पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाल रहा था और जब उसने अस्वीकार किया, तो सह-अभियुक्त ने उसकी हत्या कर दी और आवेदिका ने साक्ष्यों को नष्ट करने और अपराध को छिपाने में सहायता की।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने सूचनाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों को स्वीकार कर लिया है। हालांकि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता आवेदिका के किसी भी आपराधिक इतिहास का उल्लेख नहीं कर सके।

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है।

8. प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदिका का नाम नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में भी आवेदिका मृतक के साथ नहीं देखा गया है। मृतक की हत्या के आरोप सह-अभियुक्त सूफियान और साजिदा पर हैं। आवेदिका का मामला पृथक आधार पर है। आवेदिका का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है और वह 5 जून 2026 से जेल में है।

9. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रथम दृष्टया जमानत का मामला बनता है।

10. जमानत आवेदन **स्वीकार किया जाता है।**

11. उपरोक्त मामले अपराध में संलिप्त अभियुक्ता-आवेदिका- **श्रीमती सोफिया** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप उसके व्यक्तिगत बंधपत्र और दो विश्वसनीय जमानतदारों को, प्रत्येक समान राशि के प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- i. आवेदिका साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी।
 - ii. आवेदिका किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगी।
 - iii. आवेदिका अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगी/उन्हें डराएगी नहीं और विचारण में सहयोग करेगी।
 - iv. आवेदिका विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगी, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।
12. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।
13. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, साथ ही इस वचनबंध के साथ कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।
14. इसके अलावा यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि आवेदिका की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।
15. ऊपर किए गए संप्रेक्षण केवल इस जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए हैं और इन्हें मामले के गुणदोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

30 जून, 2026

कृष्ण*